प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री खेमकरन, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे-5-दया0 बैठक-09-09-2021 दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री खेमकरन, जो बरहा, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। मृतक रेलवे में नौकरी करता था, दिनांक 06.08.2006 को मृतक शराब पीकर घर आया। नशे में गालियां बक रहा था, बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका फरसा व सरिया से मारकर गंगाराम को घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-525/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06, पीलीभीत के आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.07.2021 तक 11 वर्ष 10 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहाई से पुन: अपराध में संलिप्त हो सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की उम्र एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-47587) पुत्र श्री खेमकरन, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-133/2022/2485(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।